राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 01311/2023

सुनिता सुथार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.04.2023
आदेश की दिनांक : 01.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (हिन्दी), के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालाखो, दौसा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर में बिना किसी प्रशासनिक कारण के किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 165 पर अंकित है एवं विभाग द्वारा आदेश दिनांक 20.12.2022 में ही श्रीमती कर्मावती बाई मीणा का स्थानान्तरण भी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर में किया गया जिसमें श्रीमती कर्मावती बाई मीणा

का नाम क्रम संख्या 57 पर अंकित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक ही स्थान पर दो कार्मिक का स्थानान्तरण का दिया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 26.12.2022 को पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी को द्वारा कार्यग्रहण करने के उपरान्त आज दिनांक तक अपीलार्थी के वेतन का आहरण नहीं करवाया गया है। अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 20.04.2023 (अनुलग्नक–1) स्थानान्तरण के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसका प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निस्तारण नहीं किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 20.04.2023 (अनुलग्नक–1) का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निस्तारण किए जाने का निर्देश देते हुए अपीलार्थी के द्वारा दी गई रिक्त पदों की सूची के अनुसार अपीलार्थी को नियुक्त दिए जाने के आदेश दिए जाए।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में याख्याता (हिन्दी), के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालाखो, दौसा में कार्यरत है। (अनुलग्नक–2) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि एक ही स्थान पर दो कार्मिकों का स्थानान्तरण किया गया है। जिसके क्रम में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिनांक 20.04.2023 को प्रस्तुत किया परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसका कोई निस्तारण नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order)

प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)